

एचओ:बीआर:110:84

19.05.2018

सभी शाखाओं/ कार्यालयों को परिपत्र

मानव संसाधन परिचालन विभाग प्रधान कार्यालय, बड़ौदा द्वारा जारी

प्रिय महोदय/ महोदया,

विषय : स्टाफ कल्याण निधि के तहत नई योजना की शुरुआत: वर्ष 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों / उनकी जीवित विधवाओं के लिए वित्तीय सहायता.

बैंक की सेवा में जो कर्मचारी 1 जनवरी, 1986 में थे, उनके लिए बैंकिंग उद्योग में पेंशन का शुभारंभ 1995 में हुआ था. 01 जनवरी 1986 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय, बैंकिंग डिवीजन, भारत सरकार ने अनुग्रह भुगतान के लिए एक योजना की शुरुआत की थी, जिसे बाद में उनकी जीवित विधवाओं के लिए भी लागू किया गया था. सरकार द्वारा निर्धारित किये गए अनुसार उन्हें अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता रहा है.

हमारा बैंक लगातार हमारे मौजूदा कर्मचारियों के साथ-साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास कर रहा है और इसी उद्देश्य के लिए समय-समय पर विभिन्न स्टाफ कल्याण योजनाओं की शुरुआत और संशोधन किया जाता है.

हमें आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि स्टाफ कल्याण निधि की प्रबंधन समिति ने दिनांक 13 मार्च, 2018 की बैठक में वर्ष 1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारियों/ उनकी जीवित विधवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की नयी योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया है.

उपरोक्त योजना के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारियों/ उनकी जीवित विधवाओं को दिए जाने वाले अनुग्रह भुगतान के अतिरिक्त, उन्हें प्रति माह रु.8000/- की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाए. यह योजना दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से आरंभ होगी.

यह भुगतान प्रधान कार्यालय द्वारा कर्मचारियों/ उनकी जीवित विधवाओं को, उनके जिस खाते में अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता रहा है उसी खाते में जमा कर दिया जाएगा.

आपसे अनुरोध है कि इस परिपत्र की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगाएं.

भवदीय,

(के बी गुप्ता)

महाप्रबंधक

प्रमुख (मासं-परिचालन)

प्रधान कार्यालय – मा. सं. परिचालन, बड़ौदा भवन, छठा तल, आर सी दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा-390007, भारत.

Head Office - HR-Operations, Baroda Bhavan, 6th Floor, R. C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390007, INDIA.

Tel.: 0265 2316626 / 27 ई-मेल/E-mail: hrm.ho@bankofbaroda.com



HO:BR:110:84 19-05-2018

CIRCULAR TO ALL BRANCHES / OFFICES

ISSUED BY: HR OPERATIONS, HEAD OFFICE, BARODA

Dear Sir/Madam,

Re: Introduction of new scheme under Staff Welfare Fund: Financial Assistance to Pre-1986 Retired Employees/their surviving widows

Pension was introduced in Banking industry in 1995 for employees who were in Bank's Service as on 1st January, 1986. Ministry of Finance, Banking Division, Govt. of India introduced a scheme for payment of EX-Gratia to employees who retired before 1st January, 1986 which was later extended to their surviving widows as well. The Ex-gratia amount being paid to them is as prescribed by the Govt.

Our Bank has been continuously making efforts for improving the quality of life of our Existing as well as Retired employees and for the purpose of same various Staff Welfare Schemes are introduced and modified from time to time.

We are pleased to inform that Managing Committee of Staff Welfare Fund in its meeting held on 13th March, 2018 decided to introduce a new scheme for providing Financial Assistance to Pre-1986 Retired Employees/ their Surviving Widows

As per the above scheme, it has been decided to provide financial assistance of Rs.8000/-per month to Pre-1986 retired employees/ their surviving widows in addition to the Exgratia payment being made to them. The scheme will be effective from 1st April, 2018.

The payment will be made centrally by Head Office by crediting the account in which payment of EX-gratia is being paid to such employees/ their surviving widow.

Kindly display a copy of this circular on notice board.

Yours faithfully,

(K.B. GUPTA)

GENERAL MANAGER HEAD (HR OPERATIONS)

8-X